बहुभाषी मासिक अख़बार

RNI NO.: UPMUL/2023/90347

सदा-ए-बुलंद

हमारी क़लम इन्साफ़ तक...

शाहजहाँपुर से प्रकाशित

वर्ष :03 अंकः 14 06 शाहजहाँपुर से तीनों ज़ुबानों हिन्दी, ऊर्दू, इंग्लिश एक साथ पहली बार शहजहाँपुर फरवरी 2026 पृष्ठ.8 मूल्य : 5 रूप्ये

गाजा की कमान कतर और तुर्की,अमेरिका और इजरायल की खतरे में दोस्ती

(आलम ए नजर– सदा ए बुलंद न्यूज) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को लेकर बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा को लेकर अमेरिका और इजरायल में तनाव उभर आया है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने शनिवार को यह कहकर चौंका दिया कि गाजा कार्यकारी बोर्ड की घोषणा को लेकर इजरायल से बात नहीं हुई थी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे इजरायल की सरकारी नीति के खिलाफ बताया है. हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि इजरायल की आपत्ति किस बात पर है, लेकिन माना जा

रहा है कि यह बोर्ड में तुर्की और कतर के अधिकारियों को शामिल किए जाने को लेकर है.

ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में कतर और तुर्की के विदेश मंत्रियों को शामिल किया गया है. इजरायल ने गाजा में तुर्की की किसी भी भूमिका का विरोध किया है. इसके साथ ही वह कतर को भी हमास के समर्थक के रूप में देखता है. इस बीच अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इजरायली न्यूज चौनल छ12 ने बताया कि गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में कतर और तुर्की की मौजूदगी के बारे में इजरायल को पहले से सूचित नहीं किया गया था.

कथावाचक लगातार साल भर नाबालिग से करता रहा दुष्कर्म जबरन कराया गर्भपात, गिरफ्तार

दरभंगा/बिहार– सदा ए बुलंद न्यूज दरभंगा बिहार महिला थाने की पुलिस ने 17 जनवरी 2026 को कथावाचक श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर को गिरफ्तार किया है। एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने उस पर शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक शोषण करने का

आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक श्रवण लड़की के घर किराए पर रहने लगा था। कथावाचक होने के कारण घरवालों ने मना नहीं किया। आरोप है कि इसी दौरान उसने लड़की को अपने भरोसे में लिया और शादी का वादा किया।

लड़की का कहना है कि घर के लोग जब बाहर जाते थे, तब वह गलत हरकतें करता था। बाद में लड़की के गर्भवती होने पर दो बार गर्भपात भी कराया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मामले में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। करीब एक महीने से फरार चल रहा श्रवण अब पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी के वक्त उसने पत्रकारों से कहा, "सब लोगों को जय सिया राम।" फिलहाल तो कथावाचक अब पुलिस की गिरफ्त में है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यूपी में धार्मिक और सियासी हलचल तेज

(प्रयागराज/सदा ए बुलंद न्यूज) ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को समझदार नेता बताया। उन्होंने कहा– डिप्टी सीएम समझदार हैं, वो समझते हैं कि हमारे अफसरों से गलती हुई है।वह समझते हैं कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इससे हमको नुकसान हो रहा है। ऐसे समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो अकड़ में और जिद में बैठा हो, उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए।दरअसल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने गुरुवार को कहा था– पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि स्नान करें। किसी भी पूज्य संत या शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 5 दिन से प्रयागराज माघ मेले में अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार सुबह उनकी बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक वैनिटी वैन में दवा खाकर आराम करते रहे। भीड़ जुटने पर वे बाहर आकर अपनी पालकी पर बैठे।माघ मेला प्रशासन से टकराव के बीच शंकराचार्य ने बसंत पंचमी पर संगम स्नान भी नहीं किया।

अविमुक्तेश्वरानंद ने कल भास्कर से कहा था– जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। प्रशासन नोटिस–नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ है, तो मैं वसंत का स्नान कैसे कर लूं? हालांकि, दो नोटिस भेजने के बाद से प्रशासनिक अफसर इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हैं।पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने बसंत पंचमी पर त्रिवेणी स्नान किया। वे व्हीलचेयर से संगम तट तक पहुंचे थे।शंकराचार्य के रुख पर थी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी मांग पर अड़े हैं।

सजा ए मौत में फांसी या जहर का इंजेक्शन

(दिल्ली–सदा ए बुलंद न्यूज) सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के लिए फांसी की जगह कम तकलीफदेह तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है। उन्होंने फांसी को मौत देने का क्रूर, अमानवीय और पुराना तरीका बताया है, जिसमें दोषी को लंबे समय तक दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि फांसी की बजाय जहर का इंजेक्शन (लीथल इंजेक्शन) दिया जाए, जो तेजी से और कम पीड़ा के साथ मौत का कारण बनता है।

याचिका में कहा गया है कि कम से कम दोषी को विकल्प दिया जाए कि वह फांसी चाहता है या इंजेक्शन। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की है, जो वैकल्पिक तरीकों पर अध्ययन कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल फांसी को सबसे तेज और सुरक्षित तरीका माना जा रहा है, इसलिए इसे बदलने के पक्ष में नहीं है।

मदरसों पर फैसला भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक मूल्यों की स्पष्ट जीत है: मौलाना असद मदनी

(सदा ए बुलंद न्यूज) जमीयत उलमा–ए–हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद मदनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वतंत्र और गैर–मान्यता प्राप्त (नॉन–अफिलिएटेड) दीनी मदरसों के संबंध में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक मूल्यों की स्पष्ट जीत है

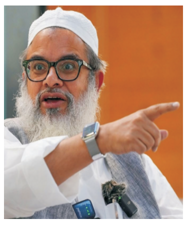

मौलाना मदनी ने कहा कि यह फैसला उन सभी सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक साफ संदेश है जो दीनी मदरसों और मकतबों को बंद करने जैसे कदमों को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम न केवल असंवैधानिक थे, बल्कि अंत में खुद उन्हीं के लिए शर्मिंदगी का कारण बने।

आखिर मुस्लिम महिलाओं को अपनी मर्जी के पहनावे से परेशानी और दिक्कत क्यूं है....

(राजस्थान–सदा ए बुलंद न्यूज)आखिर मुसलमानों को उत्पीड़ना से कब तक जुझना पड़ेगा। अगर कोई भी महिला अपनी मर्जी से पहनावा पहनती हैं तो किसी को इससे दिक्कत क्यूं हो रही है। क्या यही है नयू इंडिया और डिजिटल इंडिया अगर यही न्यू इंडिया है तो हमारा देश खुशहाली अमन चौन की सिक्युलरिजम की तरफ जा रहा है या धर्म के नाम पर नफरतों के भंवर में उलझ रहा है।

राजस्थान में चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन लेवल–2 की परीक्षा दो पारियों में कराई गई. ज्यादातर केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन कोटा के एक परीक्षा केंद्र पर हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मुस्लिम छात्रा खुद के साथ हुए व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाती दिख रही है. बूंदी जिले की रहने वाली छात्रा अलीशा शिक्षक भर्ती परीक्षा देने कोटा पहुंची थी. उसका परीक्षा केंद्र महावीर नगर विस्तार योजना स्थित तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था. छात्रा और उसके परिवार का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से उसे परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया गया.

पर्व मकर संक्रान्ति खिचड़ी के पावन अवसर पर भव्य आयोजन

रिपोर्टः लल्लू शर्मा– संवाददाता **(सदा ए बुलंद न्यूज – गोरखपुर)**जनपद गोरखपुर में भव्य आयोजन में स्नान ध्यान एवं दान के महान पर्व मकर संक्रांति खिचड़ी के पावन अवसर पर गोक्षपीठाधीश्वर महंत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रहा मुहूर्त में शिवावतारी महा योगी गुरु श्री गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाई महाराज जी ने गुरु श्री गोरखनाथ जी से जन–जन के जीवन में आरोग्य सद्भावना और मंगल की कामना की

इंसाफ का तबादला... संभल हिंसा

(संभल– सदा ए बुलंद न्यूज)ASP अनुज चौधरी पर नहीं हुई FIR हाई कोर्ट जाने की तैयारी में पीड़ित परिवारय आलम की बहन ने कह दी ये बड़ी बात संभल हिंसा में दिव्यांग आलम को लगी गोली के बाद भी अनुज चौधरी पर थ्ट दर्ज न होने से पीड़ित परिवार हताश है. कोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई न होने पर आलम की बहन रजिया ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है. परिवार आर्थिक संकट और डर में जी रहा है, न्याय की उम्मीद में लगातार संघर्ष कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के दौरान दिव्याग युवक आलम गोली लगने से घायल हो गया था. परिजनों के मुताबिक, आलम बिस्किट बेचने निकला था, उसे हिंसा के बारे में जानकारी नहीं थी. इस मामले में पीड़ित परिवार एक साल से न्याय के लिए भटक रहा है. जिला कोर्ट ने अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिसे पीड़ित परिवार निराश है. केस दर्ज नहीं होने पर पीड़ित युवक की बहन रजिया ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है।

दरअसल, 24 नवंबर 2023 को हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में आलम गोली लगने से घायल हो गया था. जिसके बाद से उसका इलाज चल रहा है. बहन रजिया ने कहा कि आलम और उनके पिता पर ही घर की जिम्मेदारी थी. आलम के घायल होने के बाद से परिवार की आर्थिक हालत और भी बदतर हो गई है. आरोप है कि पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगी थी जिसके एक साल बाद कोर्ट ने थ्ट दर्ज करने का आदेश दिया था.

तीन गोलियां लगने की कही बातः 22 वर्षीय आलम की बहन रजिया ने कहा कि आलम पहले से ही दिव्यांग है और तीन पहिया ठेले पर बिस्किट बेचकर परिवार का गुजारा करता था. गोली लगने के बाद किसी तरह उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका है. परिवार गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है. एक साल से हम न्याय की उम्मीद में हैं.

रजिया ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है. पिता के अलावा आलम घर की कमाई का सहारा था, लेकिन इलाज के चलते परिवार पर कर्ज बढ़ गया है. पीड़िता का कहना है कि उनके भाई को तीन गोलियां लगी थीं लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच गई।

इतनों ने गंवाई जानेः संभल हिंसा (नवंबर 2024) में 4 से 5 लोगों की मौत हुई थीय आधिकारिक तौर पर 4 की पुष्टि हुई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय दावों के अनुसार कुल 5 लोग मारे गए थे, जिनमें बिलाल, नईम, कैफ और अयान शामिल थे, जिनकी मौत पुलिस फायरिंग या भीड़ द्वारा हुई गोलीबारी के कारण हुई, जिस पर विवाद है। मृतकों की संख्यारू 4 से 5 जिनके नाम बिलाल, नईम, कैफ और अयान।घटना का कारणरू जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प। मृत्यु का कारण (विवाद)रू परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस फायरिंग में मौत हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि भीड़ की तरफ से हुई फायरिंग में मौतें हुईं। पुलिस कार्रवाईः पुलिस ने 2500 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया हैः एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्र्व्ड) विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है. उनका स्थानांतरण संभल से सुल्तानपुर किया गया है। दरअसल, संभल में हुई हिंसा के दौरान घायल हुए युवक आलम के पिता यमन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए CJM विभांशु सुधीर ने अहम आदेश दिया था. उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. अदालत का यह आदेश संभल हिंसा प्रकरण में पुलिस की भूमिका को लेकर बेहद अहम माना जा रहा था।संभल में जज का आनन फानन में तबादला पर कोर्ट में वकील का प्रदर्शन

इस आदेश के बाद जिले में हलचल तेज हो गई थी. संभल जिले के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पुलिस इस आदेश के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी. अब CJM विभांशु सुधीर के तबादले के बाद इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उनके स्थानांतरण को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमित तबादला प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला सवालों के घेरे में भी आ रहा है।

ये है मामलाः ASP अनुज चौधरी पर नहीं हुई थ्ट, हाई कोर्ट जाने की तैयारी में पीड़ित परिवारय आलम की बहन ने कह दी ये बड़ी बात संभल हिंसा में दिव्यांग आलम को लगी गोली के बाद भी अनुज चौधरी पर थ्ट दर्ज न होने से पीड़ित परिवार हताश है. कोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई न होने पर आलम की बहन रजिया ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है. परिवार आर्थिक संकट और डर में जी रहा है, न्याय की उम्मीद में लगातार संघर्ष कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के दौरान दिव्याग युवक आलम गोली लगने से घायल हो गया था. परिजनों के मुताबिक, आलम बिस्किट बेचने निकला था, उसे हिंसा के बारे में जानकारी नहीं थी. इस मामले में पीड़ित परिवार एक साल से न्याय के लिए भटक रहा है. जिला कोर्ट ने अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिसे पीड़ित परिवार निराश है. केस दर्ज नहीं होने पर पीड़ित युवक की बहन रजिया ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है।

दरअसल, 24 नवंबर 2023 को हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में आलम गोली लगने से घायल हो गया था. जिसके बाद से उसका इलाज चल रहा है. बहन रजिया ने कहा कि आलम और उनके पिता पर ही घर की जिम्मेदारी थी. आलम के घायल होने के बाद से परिवार की आर्थिक हालत और भी बदतर हो गई है. आरोप है कि पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगी थी जिसके एक साल बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।

तीन गोलियां लगने की कही बातः 22 वर्षीय आलम की बहन रजिया ने कहा कि आलम पहले से ही दिव्यांग है और तीन पहिया ठेले पर बिस्किट बेचकर परिवार का गुजारा करता था. गोली लगने के बाद किसी तरह उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका है. परिवार गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है. एक साल से हम न्याय की उम्मीद में हैं।

रजिया ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है. पिता के अलावा आलम घर की कमाई का सहारा था, लेकिन इलाज के चलते परिवार पर कर्ज बढ़ गया है. पीड़िता का कहना है कि उनके भाई को तीन गोलियां लगी थीं लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच गई।

इतनों ने गंवाई जानेः संभल हिंसा (नवंबर 2024) में 4 से 5 लोगों की मौत हुई थीय आधिकारिक तौर पर 4 की पुष्टि हुई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय दावों के अनुसार कुल 5 लोग मारे गए थे, जिनमें बिलाल, नईम, कैफ और अयान शामिल थे, जिनकी मौत पुलिस फायरिंग या भीड़ द्वारा हुई गोलीबारी के कारण हुई, जिस पर विवाद है। मृतकों की संख्यारू 4 से 5 जिनके नाम बिलाल, नईम, कैफ और अयान।

घटना का कारणः जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प।मृत्यु का कारण (विवाद):परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस फायरिंग में मौत हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि भीड़ की तरफ से हुई फायरिंग में मौतें हुईं। पुलिस कार्रवाईरू पुलिस ने 2500 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया हैःएएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है. उनका स्थानांतरण संभल से सुल्तानपुर किया गया है. दरअसल, संभल में हुई हिंसा के दौरान घायल हुए युवक आलम के पिता यमन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए श्र्व्ड विभांशु सुधीर ने अहम आदेश दिया था. उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. अदालत का यह आदेश संभल हिंसा प्रकरण में पुलिस की भूमिका को लेकर बेहद अहम माना जा रहा था।इस आदेश के बाद जिले में हलचल तेज हो गई थी. संभल जिले के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पुलिस इस आदेश के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी।

अब CJM विभांशु सुधीर के तबादले के बाद इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उनके स्थानांतरण को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमित तबादला प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला सवालों के घेरे में भी आ रहा है।

कर्नल सोफिया कुरैशी केसः सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा, अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं?

(सदा ए बुलंद न्यूज) ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ जांच पूरी हो जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक अभियोजन की मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल उठाए हैं।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष जांच टीम SIT ने अगस्त 2025 में ही अपनी जांच पूरी कर ली थी और राज्य सरकार से अभियोजन (केस चलाने) की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि कानून के तहत सरकार पर समय पर निर्णय लेने की वैधानिक जिम्मेदारी है. सुनवाई के दौरान CJI ने सीधे तौर पर पूछा, 'क्या हम सही समझ रहे हैं कि SIT ने राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है और सरकार अब तक उस पर चुप बैठी हुई है?

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर दो हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी है। यह पूरा केस उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा है, जो विजय शाह ने 'ऑपरेशन सिंदूरश् के दौरान मीडिया ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की थी। मंत्री शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, ष्जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, उन्हें सबक सिखाने के लिए हमने उन्हीं की एक बहन को भेजा।'

वक्फ बोर्ड की इजाजत के बगैर मदरसों की जांच गैर-कानूनी- हाई कोर्ट

(सदा ए बुलंद न्यूज) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना मदरसों की जांच करना या उन्हें बंद करना गैरकानूनी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।हालांकि, यह भी स्पष्ट किया कि गैर–मान्यता प्राप्त मदरसे सरकारी अनुदान या मान्यता प्राप्त परीक्षाओं के लाभ के हकदार नहीं होंगे. यह फैसला एक ऐसे मदरसे की याचिका पर आया था जिसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बंद करने का आदेश दिया था, और कोर्ट ने माना कि गैर–मान्यता के आधार पर किसी संस्थान को बंद करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, और यह कदम मनमाना है।

आस–पास(शाहबाद/ हरदोई

बाज नहीं आ रहे बुलेट के साइलेंसर से ध्वानि प्रदुषण फैलाने वाले

रिपोर्ट – वैभव श्रीवास्तव (हरदोई – सदा ए बुलंद न्यूज)जनपद हरदोई के नगर शाहबाद का मामला कभी बुलेट एक शाही गाड़ी मानी जाती थी किसी जमाने में लेकिन अब यह एक आम बात हो गई है अब नया युवा बुलेट पर ही दिखाई देता है और सबसे खास बात यह है की बुलेट का साइलेंसर बदलवा कर नगर में शोर सराबा मचा कर निकलता है जिससे नगर की राहगीरों को बहुत ही समस्याएं होती हैं इस समस्या को लेकर शासन प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े बहुत से जनमानस ऐसे हैं जिनको दिल की कमजोरी के कारण यह बुलेट के साइलेंसर बदलने पर शोर सराबा बहुत ही अधिक खराब लगता है लेकिन बुलेट एक ऐसी गाड़ी जिसको हर एक युवा मॉडिफाई करा कर शोर सराबा नगर में फैला रहे है

बंदर पकड़वाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए लेकिन बंदरों का आतंक जारी है

रिपोर्ट–वैभव श्रीवास्तव (हरदोई– शाहबाद/सदा ए बुलंद न्यूज) जनपद हरदोई की नगरपालिका शाहबाद में बंदरों का आतंक दिखाई दे रहा है जबकि पिछले माह में बंदर पकड़ने की टीम बाहर से आई थी नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए का बिल बनाया गया बंदर पकड़वाने के नाम पर लेकिन बंदरों का आतंक फिर भी जारी है अब समझ में यह नहीं आ रहा है की बंदर पकड़वाने के नाम पर खाली खाना पूर्ति की गई और लाखों रुपए का बिल नगर पालिका द्वारा निकाल लिया गया शाहाबाद के जनमानस को बंदरों के आतंक से निजात नगर पालिका शाहाबाद नहीं दिला पा रहा है जब कि कागजों में बंदर पकड़वाने के नाम रोज खबरें चलाई जा रही थी सवाल यह है कि अगर सही से बंदर पकड़े जाते तो बंदर शाहाबाद नगर में नहीं देखे जाते उनका आतंक भी नहीं देखने को मिलता! बंदर पकड़वाने के नाम पर खाना पूर्ति की गई नगर पालिका शाहाबाद के द्वारा इसीलिए बंदरों का आतंक शाहाबाद में कम नहीं हुआ बंदरों का आतंक कागजों में कम हो गया है

हरदोई पुलिस ने विजगवां गांव में लगाई रात्रि चौपाल सर्दी में बढ़ते अपराधों पर ग्रामीणों को किया जागरूक

जनपद हरदोई (जिला संवाददाता वैभव श्रीवास्तव हरदोई) पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर जनपद में श्हम सबकी निगरानी गांव की जिम्मेदारीश् कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तण्ड प्रताप सिंह ने शनिवार, 10 जनवरी की रात मंझिला थानाक्षेत्र के विजगवां गांव में एक रात्रि चौपाल का आयोजन किया।इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को सर्दी के मौसम में बढ़ने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करना था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ही रात में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसका लाभउठाकर अराजक तत्व चोरी या अन्य वारदातों को अंजाम देते हैं।इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे जनपद में रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जो अपराध नियंत्रण में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। थानाध्यक्ष मंझिला सत्येन्द्र कुमार ने समिति के सदस्यों को रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक नियमित रूप से गश्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।इस रात्रि चौपाल में सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ–साथ बड़ी संख्या में अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

आकांक्षी ब्लाक संडीला में नीति आयोग (MSC) एम क्रिसिल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन किया गया

(हरदोई–सदा ए बुलंद न्यूज)आकांक्षी ब्लॉक संडीला, जनपद हरदोई में नीति आयोग (MSC) एवं क्रिसिल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बैंकिंग सेवाओं, बचत, बीमा, डिजिटल लेन–देन एवं सरकारी वित्तीय योजनाओं की जानकारी देना रहा।

कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी ने वित्तीय साक्षरता को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हरदोई शाखा के मैनेजर अंकित कुमार सिंह ने बैंकिंग सुविधाओं एवं डिजिटल सेवाओं पर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीएमएम निजाम अलवी के साथ सुनीता एवं विवेक ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का संचालन शशांक गंगल (MSC) व अनुपम तिवारी सी बी ओ क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्रिसिल फाउंडेशन वित्तीय साक्षरता केंद्र प्रबंधक अमित कुमार , सूरज कुमार , प्रतिमा भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया और वित्तीय योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया।

एसपी हरदोई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी महिला उप-निरीक्षक समेत 8 पुलिस कर्मी लाइन हाजिर

रिपोर्ट – ताहिर ख़ान (हरदोई–सदा ए बुलंद न्यूज)हरदोई जनपद में अशोक कुमार मीणा द्वारा लापरवाह और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का सिलसिला लगातार जारी हैद्य इसी क्रम में एसपी हरदोई ने गंभीर आरोपों में महिला उपनिरीक्षक सहित कुल आठ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है इस बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया हैद्य प्राप्त जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र में तैनात महिला उप निरीक्षक आकांक्षा सिंह कांस्टेबल सुरेश शर्मा कांस्टेबल गुरजीत सिंह तथा हेड कांस्टेबल अंबुज तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजने की धमकी देकर उगाही करने के गंभीर आरोप लगे थेद्यमामले की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर एसपी हरदोई ने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दियाद्य एसपी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जहां पुलिस विभाग में अनुशासन का सख्त संदेश गया है वहीं जनपद वासियों ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए इन कदमों की खुलकर सराहना की है।

जय भोले सेवा समिति व जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के तत्वाधान मे एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर

रिपोर्टः जुल्फेकार (शाहबाद–हरदोई सदा ए बुलंद न्यूज) जय भोले सेवा समिति व जन सेवा समर्पण ट्रस्ट द्वारा माँ संकटा देवी मंदिर प्रांगण मे निशुल्क नेत्र शिविर का शुभारम्भ जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती जी द्वारा फीता काटकर किया गया जिसमें मुख्यरूप से महामंडलेश्वर स्वामी वृंदानंद महाराज जी मौजूद रहे। समिति की राष्ट्रीय सचिव पूजा गुप्ता जी ने बताया कि हमारी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाता है। समिति प्रवक्ता रामसिंह राठौर ने कहा कि जय भोले सेवा समिति सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र से जनकल्याणकारी कार्य कर रही है। डॉक्टर्स टीम प्रियंमवदा, विकास कुमार, गोविन्द त्रिवेदी, निशी, इकबाल आदि शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम द्वारा नेत्र परीक्षण किया गया व चिन्हित व्यक्तियों को आई हॉस्पिटल के लिए भेजा गया।

जय भोले सेवा समिति टीम बरिष्ठ समाजसेवी रामसिंह राठौर, अवंतिका तिवारी, पूजा गुप्ता, वंदना गुप्ता, गीता गुप्ता, आशीष गुप्ता, कमल किशोर गुप्ता, अन्यया गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य सचिन मिश्रा, लालाराम दीक्षित, मयंक राजपूत, मानसी राजपूत, रामजी वर्मा, तैय्यब, जुल्फेकार, समीर सिंह,अरविन्द कुमार सिंह एडवोकेट संस्थापक एस एस एन जनकल्याण समिति,हिमांशू सिंह एडवोकेट,वरिष्ठ सदस्य कमलेश मिश्रा समाजसेवी, युवा समाजसेवी शिवपूजन राठौर श्राघवश्आदि समाजसेवी मौजूद रहे।

शाहाबाद कोतवाली के सामने युवक ने आग लगा ली पुलिस पर सुनवाई न करने के गंभीर आरोप

रिपोर्ट – वैभव श्रीवास्तव (हरदोई शाहाबाद/सदा ए बुलंद न्यूज)हरदोई जनपद के शाहाबाद क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब शाहाबाद कोतवाली के सामने एक युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। युवक का आरोप है कि वह अपनी समस्या को लेकर लंबे समय से पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। न्याय न मिलने से आहत होकर युवक ने यह खौफनाक कदम उठाया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने कोतवाली के सामने अपने ऊपर तेल डाल लिया और आत्मदाह करने का प्रयास किया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में भी कुछ देर के लिए अफरा–तफरी मच गई। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर युवक को आत्महत्या करने से रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक की पहचान मोहल्ला चौक निवासी सोनी के रूप में की गई है। युवक का कहना है कि वह जिस मामले को लेकर कोतवाली आया था, उसमें पुलिस द्वारा लगातार टालमटोल की जा रही थी और उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। बार–बार गुहार लगाने के बावजूद जब उसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का प्रयास किया। घटना के बाद युवक को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि यदि समय रहते युवक की शिकायत पर सुनवाई होती, तो क्या उसे इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत आती?स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पुलिस–जन संवाद की कमी को उजागर करती है। वहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यह घटना पुलिस की संवेदनशीलता और शिकायतों पर समय पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल छोड़ गई है।

थाना पाली परिसर में सनसनी पति ने पत्नी को मारी गोली

रिपोर्ट–ताहिर ख़ान (पाली हरदोई– सदा ए बुलंद न्यूज)हरदोई जनपद के थाना पाली में उसे समय हड़कंप मच गया जब अनूप यादव नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सोनी को गोली मार दीद्य घटना थाना परिसर के अंदर होने से पुलिस महक में अफरा तफरी मच गईद्य गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जिसे मौके पर मृदा घोषित कर दिया गया पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है घटना के कर्म की छानबीन की जा रही है

एक नज़र में

पति ने अंडा करी बनाने से किया इन्कार तो पत्नी ने दांतों से काट ली जुबान

(गाजियाबाद/सदा ए बुलंद न्यूज) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर की संजयपुरी कॉलोनी में एक महिला ने अपने पति की जीभ दांतों से काटकर अलग कर दी। पति का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने घर में अंडा करी बनाने से मना किया था। घटना के बाद यह बात भी सामने आई है कि पत्नी अपनी शादी से खुश नहीं थी। विपिन को मोदीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया। विपिन की मां गीता ने थाने में एसएचओ को बताया कि ईशा शराब और बीड़ी पीती है। रोजाना विपिन पर शराब और बीड़ी लाने के लिए दबाव बनाती है। इंस्टाग्राम पर पूरे दिन रील बनाती है। रील बनाने को मना करने पर ईशा आत्महत्या की धमकी देकर पूरे परिवार को जेल भिजवाने की बात करती थी।

देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा इसे कोई नहीं रोक सकता

(सदा ए बुलंद न्यूज) RRS के चीफ मोहन भागवक ने मथुरा के वृंदावन में एक समारोह में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है. भागवत ने कहा कि आने वाले 20–30 सालों में भारत विश्वगुरु बनकर सुख–शांति भरा जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा.

गैंगरेप केस में मोईद ख़ान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया

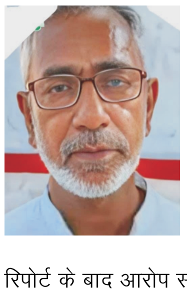

(अयोध्या/ सदा ए बुलंद न्यूज) साल 2024 में अयोध्या के भदरसा क्षेत्र के एक नाबालिग से गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. कोर्ट ने उनके नौकर राजू खान को रेप का दोषी पाया. कल राजू खान को सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में मोईद खान की बेकरी शॉप और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बुलडोजर एक्शन तक हुआ था. अब DN। रिपोर्ट के बाद आरोप साबित नहीं होने पर उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है।

नगर आयुक्त ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है

रिपोर्ट/खालिद खान (शाहजहांपुर/सदा ए बुलंद न्यूज) आज नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र ने वार्ड नंबर 50 रंगीन चौपाल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर आयुक्त ने कहा कि इससे महानगर में सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों से अपील की कि वे अपने कचरे को अलग–अलग कर नगर निगम के कूड़ा वाहन को दें। नगर आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को वाहनों की देखभाल और कार्यों को ईमानदारी से करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 50 के पार्षद मोहसिन व नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

हिन्दी ओलम्पियाड में सेंट पाल्स के छात्रों का जलवा

सकीना, अदीना, दक्शित पाल, अफ्फान हुसैन, समीन फातमा रहीं प्रथम

रिपोर्ट – राशिद हुसैन (शाहजहांपुर/सदा ए बुलंद न्यूज)

महात्मा गांधी राजभाषा हिन्दी प्रचार संस्था पुणे की अखिल भारतीय हिन्दी ओलम्पियाड में सेंट पाल्स इंटर कालेज की कक्षा दो की छात्रा सकीना खान समेत अदीना, दक्शित पाल, मोहम्मद अफ्फान हुसैन, समीन फातमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्रों को संस्था की ओर से स्कूल में मेडल व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय हिन्दी ओलम्पियाड की सुबोध परीक्षा विगत दिनों आयोजित की गई थी। शहबाजनगर निवासी मोहम्मद उस्मान रजा खां व शिक्षिका सुमैया खान की पुत्री सकीना खान अपनी कक्षा में मानीटर भी है।

संभल के(CJM) विभांशु सुधीर के तबादले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हंगामा बरपा

(सदा ए बुलंद न्यूज) संभल हिंसा मामले में बड़ा अदालती आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर के तबादले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में नई बहस छेड़ दी है. 15 से 20 पुलिसकर्मियों, जिनमें एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर शामिल हैं, पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के बाद उनका संभल से सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया. इस घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "सत्य का तबादला नहीं होता" और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है. उनके मुताबिक अगर

न्यायिक फैसलों के बाद ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. यह आदेश उस याचिका पर आया था, जो संभल हिंसा में घायल युवक आलम के पिता ने दायर की थी. अदालत ने पुलिस की भूमिका की जांच को जरूरी बताते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, पुलिस प्रशासन पहले ही इस आदेश को मानने से इनकार कर चुका था और हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी.अब जज के तबादले के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है. प्रशासन इसे सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन फैसले के समय और परिस्थितियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

भाकियू (स्वराज) ने आर्थिक कारणों से कोई भी होनहार छात्र उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित न रहे डा0 अलीशा सिददीकी

(शाहजहांपुर सदा ए बुलंद न्यूज) शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शाहीन कैंब्रिज अकैडमी लखनऊ की प्रबंध निदेशक डॉ. अलीशा सिद्दीकी लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने नीट, जेईई एवं आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र–छात्राओं के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था कम शुल्क पर सुनिश्चित की है। डॉ. अलीशा सिद्दीकी ने बताया कि अकैडमी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक कारणों से कोई भी होनहार छात्र उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित न रहे। इसी क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को विशेष शुल्क छूट प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हाफिज और आलिम बच्चों के लिए भी विशेष रियायतें लागू की गई हैं, ताकि वे आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि अकैडमी में विषय विशेषज्ञ और अनुभवी शिक्षकों को जोड़ा गया है, जो छात्रों को नीट, जेईई और आईआईटी जैसी परीक्षाओं के नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। नियमित कक्षाओं के साथ–साथ टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन और व्यक्तिगत काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है।यह जानकारी डॉ. अलीशा सिद्दीकी ने मदरसा नूर उल हुदा में आयोजित एक सेमिनार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर देना ही अकैडमी की प्राथमिकता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है और इसी लक्ष्य को लेकर शाहीन कैंब्रिज अकैडमी निरंतर कार्य कर रही है।

पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से अल्पसंख्यक और मदरसा पृष्ठभूमि के बच्चों को मुख्यधारा की प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर मदरसा नुरुल हुदा के प्रधानाचार्य इकबाल हुसैन उर्फ फूलमियां, इजहार हसन, कामरान हुसैन, मोईन खान, ममनून खान, जहूर, साजिद अली खान, मोईन खान, शारिक अली खान, सूबुही खान विनीत खन्ना, प्रेमचंद, शरीफ कुरैशी, आसिफ फरीदी, गुलरेज फरीदी, शबनम खान, आदि मौजूद रहे

ई-रिक्शा एवं ओवरस्पीड वाहनों पर चलाया गया यातायात पुलिस का विशेष अभियान

रिपोर्ट – अनीश ख़ान

(शाहजहांपुर– सदा ए बुलंद न्यूज) पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर, शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा नगर क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या को कम करने हेतु यातायात पुलिस शाहजहाँपुर द्वारा आज एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर ई–रिक्शा वाहनों की गहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 71 ई–रिक्शा के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चालान की कार्यवाही की गई तथा 01 ई–रिक्शा व 01 ईको वाहन को सीज कर पुलिस लाइन में खड़ा कराया गया।

इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 24ß30 पर स्पीड लेजर गन के माध्यम से प्रभारी यातायात श्री विनय पाण्डेय द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर चल रहे वाहनों के विरुद्ध सघन कार्यवाही की गई, जिसमें 55 ओवरस्पीड वाहनों का चालान किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न नियम उल्लंघनों के कुल 450 चालान किए गए।प्रभारी यातायात श्री विनय पाण्डेय द्वारा बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से भविष्य में भी जागरूकता कार्यक्रमों के साथ–साथ प्रवर्तन की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई कि सड़क पर सुरक्षित रहने हेतु यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सड़क दुर्घटना मुक्त शाहजहाँपुर बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें।

जब जुर्म साबित नहीं तो जमानत क्यूं नहीं डी. वाई. चंद्रचूड़

(सदा ए बुलंद न्यूज)

जयपुर साहित्य महोत्सव में पूर्व CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ का बड़ा बयान जयपुर साहित्य महोत्सव के मंच से पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने उमर खालिद की जमानत से जुड़े सवाल पर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि "सजा से पहले जमानत को एक अधिकार माना जाना चाहिए, क्योंकि कानून की बुनियाद इस सिद्धांत पर टिकी है कि दोष सिद्ध होने तक हर व्यक्ति निर्दोष होता है।" हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े

मामलों में अदालतों को जमानत पर फैसला करते समय विशेष सतर्कता और गहन जांच करनी चाहिए। उमर खालिद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर आरोपी के दोबारा अपराध करने, सबूतों से छेड़छाड़ या फरार होने की आशंका नहीं हो, तो जमानत दी जानी चाहिए।

कलेक्ट्रेट परिसर में वकील की खुली दबंगई, जमीन बेचने में करोड़ों का फर्जीवाड़ा महिलाओं से मारपीट पत्रकारों पर भी हमला

(रिपोर्ट: खालिद ख़ान शाहजहांपुर/ सदा ए बुलंद न्यूज शाहजहांपुर) कलेक्ट्रेट परिसर उस समय अराजकता का केंद्र बन गया जब फरियाद लेकर पहुंचे दर्जनों महिला–पुरुष पीड़ितों के साथ कथित तौर पर कुछ वकीलों ने गाली–गलौज और मारपीट की। पीड़ित महिलाओं ने खुलेआम मारपीट किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार, थाना रोजा क्षेत्र से पीड़ित करोड़ों रुपये की जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े एक नेता, जो स्वयं को मंत्रियों का करीबी बताता है, मंत्रियों के नाम का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद–फरोख्त कर रहा है। इसी जमीन घोटाले से जुड़े मामले की शिकायत करने पर पीड़ितों को दबाने का प्रयास किया गया।

पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के दौरान कुछ वकीलों ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि महिलाओं के साथ धक्का–मुक्की और मारपीट भी की गई। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पत्रकारों के साथ भी कथित रूप से बदसलूकी की गई। आरोप है कि पत्रकारों के मोबाइल फोन छीने गए और तोड़ दिए गए।

महिलाओं ने अधिवक्ता राकेश शर्मा , मुकेश चंद्र शर्मा,पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिए। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि कलेक्ट्रेट जैसा संवेदनशील और सुरक्षित माना जाने वाला परिसर यदि दबंगों से सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता न्याय की उम्मीद कहां करे।

घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा–तफरी मच गई। पीड़ितों और पत्रकारों में भारी आक्रोश है। सभी ने जिला प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करने और सुरक्षा की मांग की है।पीड़ित महिलाओं ने बताया कि आरोपी खुलेआम सत्ता की धमकी देते हुए शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घटना ने जिला प्रशासन और कानून–व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

رمضان المبارک کی فضیلت : مسائل واحکام

(صدائے بلند نیوز ایجنسی) رمضان المبارک میں نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ہوجاتا ہے۔ رغبت رکھنے والے ہر انسان کے لئے بھلائی کے تمام دروازے کھلے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی بابرکت مہینہ میں قرآنِ مجید نازل ہوا۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔" (مسلم: ۲۹۴۲)

رمضان المبارک اور پانچ خصوصیات: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: میری اُمت کو رمضان المبارک میں پانچ ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو پہلی کسی بھی امت کے حصہ میں نہیں آئیں: (۱) روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ (۲) روز داروں کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کرلیں۔ (۳) اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: "میرے نیک بندوں سے عنقریب آزمائش ختم ہوگی اور وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔" (۴) شیاطین کو بند کردیا جاتا ہے، وہ عام دنوں کی طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کرسکتے۔ (۵) رات کے آخری پہر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ (مسند امام احمد: ۷۵۸۷)

روزہ کی فضیلت: روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوہریرہ؟ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیے جاتےہیں۔" (البخاری: ۱۰۹۱)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پنجگانہ نماز ایک سے دوسری تک، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک گناہ معاف کرنے کا سبب ہے بشرطیکہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔" (مسلم: ۳۳۲)

روزہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا اجر وثواب لامحدود ہے بلکہ روزہ دار کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمایا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ کے علاوہ بنی آدم کے ہر عمل کا اجر ہے روزہ صرف میرے لئے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا ... روزہ ڈھال ہے پس کوئی روزہ رکھے تو وہ فحش کاموں سے باز رہے اور اگر کوئی اسے تنگ کرے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں: ایک روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری (روز قیامت) اللہ ربّ العالمین سے ملتے ہوئے۔" (مسلم: ۲۷۰۷)

اور دوسری حدیث میں ہے کہ "بنی آدم کے ہر نیک عمل کو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے مگر روزہ (کے ساتھ یہ معاملہ نہیں) میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا کیونکہ اس (روزہ دار) نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔" (مسلم: ۲۷۰۱) مذکور احادیث سے روزہ کی فضیلت درج ذیل وجوہ سے ثابت ہوتی ہے:

(۱) تمام عبادات میں سے اللہ تعالیٰ نے روزہ کے اجروثواب کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس سے دوسرا کوئی مطلع نہیں ہوسکتا۔ انسان چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خوشنودی کے خاطر وہ ایسا نہیں کرتا گویا کہ روزہ ایک خالص ترین عبادت ہے۔

(۲) اللہ نے روزہ کا اجروثواب بغیر حساب وکتاب دینے کا وعدہ کیا ہے کیونکہ روزہ دار کو بھوک، پیاس، کمزوری بدن جیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ کہ روزہ دار میں صبر کی تمام قسمیں جمع ہوجاتی ہیں۔

(۳) روزہ گناہوں سے بڑی مضبوط ڈھال کا کام دیتا ہے۔ (۴) اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کی بہت ہی قدر ومنزلت ہے حتیٰ کہ اس کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ (۵) روزہ دار کو روزہ کھولتے ہوئے دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں:

(۱) افطار کی خوشی (۲) جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔

لیلۃ القدر کی فضیلت: رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں ایک ایسی عظیم رات ہے کہ اس کی بندگی ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس رات میں قرآن مجید کو لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر نازل کیا۔ جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اس مقدس کتاب کا نزول ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: "بے شک ہم نے اس (قرآن کو) لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں کی بندگی سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔'' (سورۃ القدر)

لیلۃ القدر کی فضیلت درج ذیل وجوہ کی بنا پر ثابت ہوتی ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآنِ مجید کو نازل فرمایا جو انسانیت کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ (۲) سارے مہینوں کی بندگی سے بھی بڑھ کر فضیلت کی حامل ہے۔ (۳) اس میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ (۴) یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے اور لوگوں کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ (۵) اس رات کی فضیلت میں ایک مکمل سورت نازل کی گئی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ (۶) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو آدمی شبِ قدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارے تو اس کے سارے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔'' (بخاری: ۲۱۰۲)

لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما کر ان کے لئے اعلیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے لیلۃ القدر کو توبہ کی اور اپنے مالک کو راضی کرلیا اور بدبخت ہے وہ انسان جس نے اس رات کو بھی رمضان المبارک کی طرح غفلت میں گزار دیا۔

روزے کا حکم: روزہ ارکانِ اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر صحت مند، مقیم، بالغ، عاقل مسلمان مرد وعورت پر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "جو تم سے اس مہینہ کو پالے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔" (البقرۃ: ۵۸۱) مریض، مسافر، حائضہ عورتیں اور نفاس والی عورتیں مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں!

(۱) کافر: کافر پر روزہ نہیں اگر وہ دورانِ رمضان مسلمان ہوجائے تو گذشتہ روزوں کی قضا اس پر نہیں ہے۔

(۲) غیر بالغ: غیر بالغ افراد پر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "تین قسم کے لوگوں پر سے قلم اُٹھالی گئی ہے۔ سویا ہوا انسان حتیٰ کہ وہ جاگ جائے۔ چھوٹا بچہ حتیٰ کہ وہ جوان ہوجائے، مجنوں حتیٰ کہ وہ صحت مند ہوجائے۔ (ابوداود: ۸۹۳۴)

یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے اور ان کے کھلونے بھی ساتھ لے لیتے۔ جب بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے تو وہ کھلونے ان کے آگے رکھ دیتے تاکہ بچے مشغول ہوجائیں، اس لئے ہمیں بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینا چاہئے تاکہ بالغ ہوکر انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

(۳) مجنون: مجنون پر روزہ فرض نہیں جس طرح پہلے حدیث میں گزر چکا ہے۔ کیونکہ مجنوآدمی کو اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں وہ کسی بھی عبادت کی نیت تک نہیں کرسکتا۔

(۴) روزہ رکھنے سے عاجز: وہ بوڑھا آدمی جو بالکل لاغر ہوچکا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مریض پر بھی روزہ نہیں ہے جو انتہائی لاغر ہوچکا ہے۔ فرمانِ الٰہی ہے: "اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے" (البقرۃ: ۶۸۲) مگر وہ ہر روزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے۔ ہاں اگر مریض کے صحت مند ہونے کی امید ہو تو وہ روزہ کی قضا ادا کرے گا۔

(۵) مسافر: مسافر پر بھی روزہ نہیں ہے۔ سفر ختم ہونے کے بعد اس کے ذمہ قضا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "جو کوئی تم میں سے مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے ایام میں گنتی کو پورا کرے۔" (البقرۃ: ۵۸۱) سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، نہ ہی تو روزہ دار روزہ چھوڑنے والوں کو عیب دار گردانتے تھے اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے روزہ داروں پر عیب لگاتے تھے۔ (الترمذی: ۲۱۷)

6) حائضہ عورت: حائضہ عورت پر بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے حدیث مبارکہ ہے کہ "کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت ایام ماہواری میں ہوتو وہ نہ ہی نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔'' (البخاری: ۱۵۹۱)

(۷) نفاس والی عورت: نفاس والی عورت بھی مذکورہ دلیل کی بنا پر روزہ نہیں رکھے گی۔ دونوں قسم کی عورتیں روزہ کی قضا دیں گی۔

(۸) حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت: عورت جو حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں اسے اپنی یا بچے کی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مجبوری کی حالت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ دونوں عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔

روزہ توڑنے والے اُمور

(۱) ہم بستری: بیوی سے ہم بستری سے نہ صرف روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کفارہ ایک گردن آزاد کرنا یا متواتر دو ماہ کے روزے رکھنا یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ (البخاری: حدیث ۷۳۹۱) (۲) اخراج منی: اگر روزہ دار اختیاری طور پر منی خارج کردے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے منی کا اخراج مباشرت، بوس وکنار، لمس یا دیگر کسی طریقہ سے ہو۔ البتہ اگر سوتے ہوئے محض تفکر یا بے اختیاری میں منی خارج ہوجائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فقط خیالات اور تفکر پر مواخذہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کرے۔'' (متفق علیہ) (۳) عمداً کھانا پینا: جان بوجھ کر کوئی چیز کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ خوراک جو پیٹ میں پہنچ جائے، چاہے منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستہ سے پہنچے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ یہ ہے: "اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح نہ ہوجائے، کھاؤ پیو پھر رات تک روزہ کو مکمل کرو۔'' (البقرہ: ۷۸۱) حدیث گزر چکی ہے۔

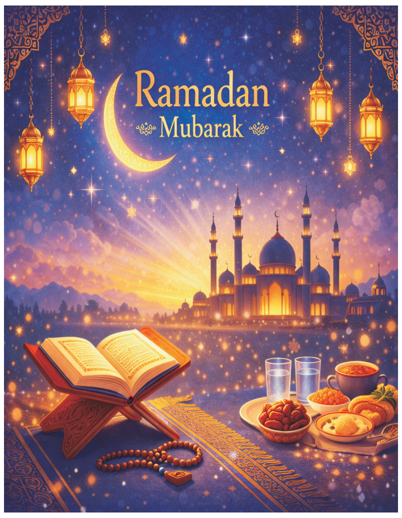

अविष्कार/ वाक़ियात

पहली बार साबुन की खोज

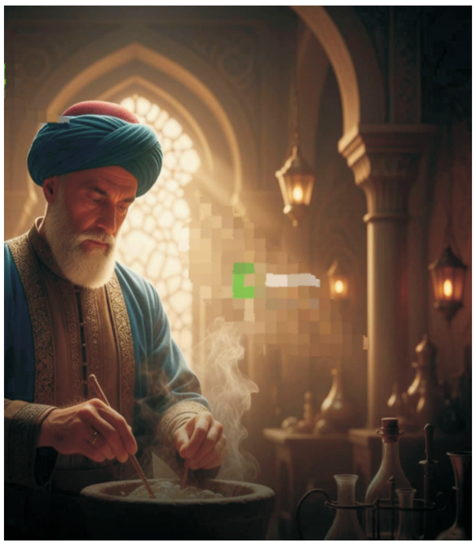

(इल्म ए विराग –सदा ए बुलंद न्यूज) आमतौर माना जाता है कि साबुन एक आधुनिक या यूरोपीय खोज है, लेकिन इतिहास इससे बिल्कुल अलग कहानी कहता है। आधुनिक साबुन की बुनियाद मुस्लिम वैज्ञानिकों और रसायनज्ञों ने रखी थी, खासकर इस्लामी स्वर्ण युग (8वीं / 13वीं सदी) में।प्राचीन सभ्यताओं में सफाई के लिए कुछ कच्चे पदार्थों का उपयोग होता था, लेकिन ठोस, खुशबूदार और त्वचा के लिए सुरक्षित साबुन सबसे पहले मुस्लिम दुनिया में विकसित हुए। 9वीं सदी के प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिक अल–राजी ने रसायन विज्ञान (Chemistry) को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाया और वसा यानी तेल) और क्षार (Ikali) के सही अनुपात से साबुन बनाने के तरीके को वैज्ञानिक रूप दिया।

सीरिया का अलेप्पो शहर साबुन जो उस वक्त जैतून के तेल और लॉरेल ऑयल से बनाया जाता था, दुनिया का पहला हार्ड सोप माना जाता है। यह न केवल शरीर की सफाई के लिए बल्कि त्वचा रोगों के इलाज में भी इस्तेमाल होता था। बाद में यही तकनीक यूरोप पहुँची और वहीं से आधुनिक साबुन उद्योग ने जन्म लिया।

आज हम जिस साबुन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव मुस्लिम वैज्ञानिकों ने रखी थी। यह योगदान इस्लामी सभ्यता की उस विरासत का हिस्सा है, जिसने पूरी दुनिया को स्वच्छता और विज्ञान का रास्ता दिखाया।

बेटी के लिये अपना घर ससुराल या मैका

(सदा ए बुलंद न्यूज) पति दो दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा था, तो उसने पत्नी से कहा, ष्चलो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। अकेले घर में क्या करोगी, वैसे भी डरपोक हो।' वह खुशी–खुशी तैयार हो गई।जब वह पहुँची तो माँ के घर का दरवाजा खुला था। माँ–बाबा आँगन में बैठे अचार और चटनी के साथ रोटी खा रहे थे। सलाम–दुआ के बाद उसने हैरानी से पूछा, ष्अब्बा! आप तो कभी अचार–चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, आज क्यों?'

अब्बा ने निवाला लेते हुए कहा, ष्बेटा, कभी–कभी खा लेनी चाहिए, मजेदार होती है। मुझे तो अब पता चला, मैं तुम्हें खामख्वाह तंग करता था।ष् लेकिन बेटी ने अपने पिता की आँखों में छिपी बेबसी को भांप लिया था।

इतने में भाभी भी आँगन में आई और मिलते ही पूछा, 'रहने आई हो?'उसने खुशी से कहा, 'जी भाभी, असद एक–दो दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, तो मुझे यहाँ छोड़ गए।'

भाभी ने सुनकर एक बनावटी (झूठी) हंसी हंसी और बोली, बैठो, तुम्हारे लिए चाय–पानी लाती हूँ।' उसने सोचा कि अम्मी–अब्बा के बर्तन समेट दे और भाभी की मदद भी करवा देगी, साथ ही भाई से भी मिल लेगी। वह बर्तन किचन में रखकर भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाजें सुनाई दीं।

भाभी कह रही थीं, 'तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी गई

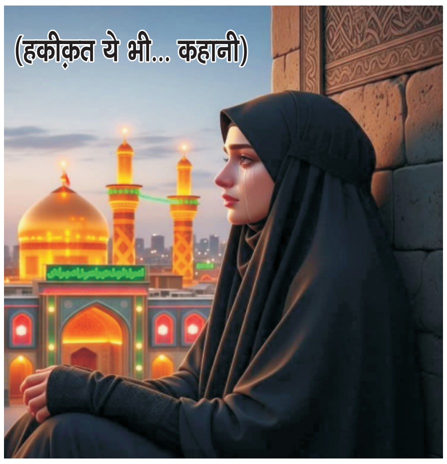

हैं, लेकिन अम्मी–अब्बा की चौखट नहीं छोड़तीं। जब जिसका दिल करता है, मुँह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं।' अंदर से भाई की आवाज आई, 'नेकबंदी! वो तेरा क्या खाती हैं? यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी?'भाभी बोलीं, 'बस मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान की खिदमत। माँ–बाप को खाना दे देती हूँ, यही अहसान समझो।'

यह सुनकर उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया और आवाज गले में ही दब गई। वह उलटे पाँव वापस लौटने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर बात करने का नाटक करते हुए वह बाहर निकली और बोली, 'अच्छा अम्मी! आप लोग गाँव से आ गए हैं? पहले बता देते तो मैं अपनी सास की तरफ आती ही नहीं। चलिए, आप परेशान न हों, मैं अभी वापस आ रही हूँ। आप ऐसा करें, थोड़ी देर राबी आपी के घर बैठें।' अम्मी–अब्बा हैरान होकर बोले, 'बेटा, ये क्या बात हुई?'तो वह बोली, 'अब्बा जी, असद की अम्मी (सास) आई हैं तो उन्हें अकेले कैसे छोड़ दूँ? फिर आऊँगी इंशाअल्लाह, अभी इजाजत दें।' अपने आँसुओं को पीते हुए वह उन दोनों से मिली और अपने बाबुल की दहलीज पार कर गई। वापसी में उसे अपना एक–एक कदम भारी महसूस हो रहा था। वह अपने होंठों को भींचती हुई जा रही थी, जैसे खुद को हौसला दे रही हो।उसे फिर वह बात याद आई कि: 'फसलें जो काटी जाएं, फिर उगती नहीं हैं । बेटियाँ जो ब्याही जाएं, फिर मुड़ती नहीं हैं।'

बेशक मायका माँ–बाप से होता है, लेकिन कभी–कभी उनके होते हुए भी बेटियाँ बेबस हो जाती हैं। रात के खाने में उसे नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतरते हुए आँसुओं का था।

एक सीखः यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। कभी–कभी इंसान अपने ही घर में पराया हो जाता है।

मुझे बेटे को इस्लाम कबूल कराना है

(इल्म ए दीन – सदा ए बुलंद न्यूज) एक फ्रांसीसी महिला अपने चौदह वर्षीय बेटे को लेकर फ्रांस के इस्लामिक सेंटर में आई ताकि उसका बेटा मुसलमान हो जाए। वे दोनों इस्लामिक सेंटर पहुँच गए। इस्लामिक सेंटर के नाजिम (मदरसे का प्रबंधन संभालने वाले) के ऑफिस में जाकर बच्चे ने मुलाकात की।

बच्चे ने कहा, 'मेरी माँ चाहती हैं कि मैं मुसलमान हो जाऊँ।'

इस्लामिक सेंटर के नाजिम ने बच्चे से पूछा, 'क्या तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो?'

बच्चे ने जवाब दिया, 'मैंने अभी तक इस पर गौर नहीं किया है, लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ।'

नाजिम को बच्चे के इस जवाब पर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बच्चे से पूछा, 'क्या तुम्हारी माँ मुसलमान हैं?'

बच्चे ने कहा, 'नहीं, और न ही मुझे यह मालूम है कि वह मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए क्यों कह रही हैं।'

नाजिम ने पूछा, ष्तुम्हारी माँ कहाँ हैं?'

बच्चे ने कहा, ष्वह इस्लामिक सेंटर के बाहर के हिस्से में खड़ी हैं।'

नाजिम ने कहा, ष्अपनी माँ को बुला लाओ, ताकि मैं उनसे बात करके स्थिति जान सकूँ।'

बच्चा अपनी माँ को लेकर नाजिम के पास आया। नाजिम ने माँ से पूछा, 'क्या यह बात सही है कि आप मुसलमान नहीं हैं, और चाहती हैं कि आपका बेटा मुसलमान हो जाए?' माँ ने कहा, 'यह बात बिलकुल सही है।'

नाजिम को इस जवाब पर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने माँ से पूछा, 'आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि आपका बेटा इस्लाम कबूल कर ले?'

माँ ने जो जवाब दिया वह हैरान कर देने वाला था। माँ ने बताया, 'मैं पेरिस के जिस फ्लैट में रहती हूँ, मेरे फ्लैट के सामने एक मुस्लिम परिवार का फ्लैट है। उनके दो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं।

सुबह–शाम वे दोनों बच्चे घर से निकलते या घर में दाखिल होते वक्त अपनी माँ को ऊँची आवाज में सलाम करते हुए माँ की पेशानी चूमते हैं और हाथ को चूमते हैं, और बड़े आदर और अदब से अपनी माँ के साथ पेश आते हैं।

जैसे कि वह माँ किसी देश की प्रधानमंत्री (या रानी) हों। मैंने जब से यह दृश्य देखा है, मेरी दिली तमन्ना है कि मेरा बेटा भी मुसलमान हो जाए। वरना मुझे डर है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो वह कहीं मुझे ओल्ड एज होम में न डाल दे। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह मुस्लिम माँ के बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं।'

निष्कर्षः–

'इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है। ज्ञान से ज्यादा अमल (कर्म) देखकर लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है।'

अब मुसलमान सिर्फ़ आपस में झगड़ने भरके रह गए हैं।

(सदा ए बुलंद न्यूज)

एक दिन एक बादशाह का मस्जिद के सामने से गुजर हुआ। नजर पड़ी तो देखा मस्जिद की इमारत अपनी शान में बे–मिसाल, उसकी मीनारें आसमान से बातें कर रहीं, दीवारों पर नक्काशी ऐसी कि देखने वाला ठहर जाए। और ठीक उसी पल अजान की आवाज बुलंद हो रही थी रूह में उतरने वाली, दिल में हलचल पैदा करने वाली

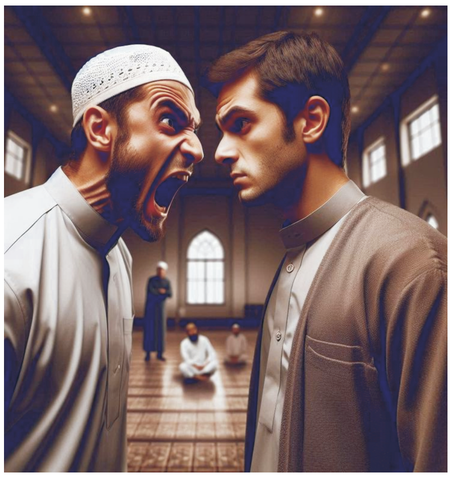

मगर यह क्या? वो आवाज तो थी, पर आवाज सुनने वाला कोई नहीं मस्जिद के दरवाजे खुले थे, लेकिन सज्दे में झुकने वाला सर एक भी नहीं

बादशाह का दिल तड़प उठा। उसने मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया और कहारू 'एक बार और अजान दो!' मुअज्जिन ने दोबारा अजान दी। अभी दूसरा कलिमा पूरा भी नहीं हुआ था कि लोग चारों तरफ से दौड़ते हुए मस्जिद के सामने इकट्ठा होने लगे सैंकड़ों, हजारों

लेकिन नमाज के लिए नहीं३.बल्कि इसलिए किरू 'दूसरी अजान क्यों दी गई?'हर जबान पर सवाल, हर हाथ में गुस्सा, दिलों में उत्तेजना, और बात झगड़े तक पहुँच गई

तब बादशाह ने सबको ख़ामोश किया और भीड़ को मुखातिब होकर कहा: 'पहली अजान भी हुई थी, जो दिलों को जगाने आई थी, मगर तुमने सुना नहीं दूसरी अजान भी वही थी, मगर इस बार झगड़े के शोर में तुमने उसे फौरन पकड़ लिया! लड़ाई और फितने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, ताक़त है, जोश है मगर अल्लाह के आगे सज्दा करने के लिए नहीं?'

फिर उसकी आँखें नम हो उठीं और आवाज भारी हो गईरू 'अफसोस! झगड़ों के लिए भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन नमाज के लिए सफें खाली रह जाती हैं३ एक इंसानी भूल पर तुम लड़ पड़ते हो, लेकिन रब की पुकार पर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता'

मजमा सन्नाटे में बदल गया लोगों पर शर्म की चादर उतर आई३ आज भी हमारी हालत कुछ ऐसी ही है३ मस्जिदें दिन में पाँच बार हिदायत का पैगाम देती हैं लेकिन हम सुन कर भी अनसुना कर देते हैं३पर जैसे ही मौलवी या मुअज्जिन से कोई छोटी सी इंसानी चूक हो जाए हम उंगलियाँ उठाना, बहस करना, ऐब तलाशना शुरू कर देते हैं गौर करें तो हम लोगों से गलती निकालने में माहिर हो गए हैं३लेकिन अपनी नमाज की कमी और अमल की ख़ामियाँ पर नजर नहीं डालते। तुम्हें पांच वक्त मस्जिद में कामयाब होने के लिए बुलाया जाता है तुम हो कि अपनी मसरुफियत को कामयाबी समझते हो।

भारत–पाकिस्तान युद्ध) के नायक और वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल अरुण प्रकाश को भी देनी पड़ रही है नागरिक पहचान

(सदा ए बुलंद न्यूज) 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के नायक और वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल अरुण प्रकाश,उन्हें चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस मिला है। इस नोटिस में उन्हें अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए चुनाव अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है।

इनकी भी पहचान नहीं हो पा रही तो आम आदमी की कैसे होगी! निर्वाचन आयोग (ECI) ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त) को नोटिस जारी कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ˆ(IR) के तहत अपनी पहचान साबित करने के लिए बैठक में आने को कहा है. इस नोटिस के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं और इस प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई है।गोवा में रहते हैं एडमिरल अरुण प्रकाश रिटायरमेंट के बाद से एडमिरल अरुण प्रकाश गोवा में रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि SIR के फॉर्म जरूरी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए. वहीं, निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2002 में अपडेट हुई अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें 'अनमैप' श्रेणी में रखा गया है।'अनमैप' श्रेणी में क्यों आए एडमिरल

दक्षिण गोवा की जिला निर्वाचन अधिकारी एग्ना क्लीटस ने बताया कि ऐसे कई मामलों में यही स्थिति सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि एडमिरल प्रकाश का मामला भी 'अनमैप' कैटेगरी का है. उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को उनके फॉर्म की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे.

1971 युद्ध के नायक हैं एडमिरल प्रकाश एडमिरल अरुण प्रकाश को भारत–पाकिस्तान युद्ध 1971 में अहम भूमिका निभाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था. उन्हें ैप् के तहत जारी 'सुनवाई नोटिस' में निर्वाचन अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपनी पहचान साबित करने को कहा गया है।नोटिस पर एडमिरल प्रकाश की प्रतिक्रिया ऑनलाइन चर्चा के बाद एडमिरल प्रकाश ने 'एक्स' पर लिखा कि उन्हें किसी खास सुविधा की जरूरत नहीं है और न ही उन्होंने कभी ऐसी मांग की है. उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने समय पर SIR फॉर्म भरे थे और गोवा की प्रारूप मतदाता सूची 2026 में अपना नाम देखकर वे खुश थे. इसके बावजूद वे निर्वाचन आयोग के नोटिस का पालन करेंगे।बुजुर्ग दंपती को बार–बार बुलाने पर सवाल

एक अन्य पोस्ट में एडमिरल प्रकाश ने कहा कि यदि ैप् फॉर्म में कमी है तो उसे सुधारा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि बूथ लेवल अधिकारी उनसे तीन बार मिल चुके हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं जानकारी ली जा सकती थी. उन्होंने कहा कि वे 82 और उनकी पत्नी 78 वर्ष की हैं और उन्हें 18 किलोमीटर दूर दो अलग–अलग तारीखों पर बुलाया गया है.पूर्व सैन्य अधिकारियों का समर्थन सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल टी. एस. आनंद ने कहा कि यह मामला शायद सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से हुआ हो. उन्होंने कहा कि एडमिरल प्रकाश के मामले में उनका पीपीओ या वेटरन कार्ड पहचान के लिए काफी है और नियमों के अनुसार SIR टीम उनके घर जाकर भी सत्यापन कर सकती है।आम समझ की कमी का आरोप एक अन्य यूजर ने लिखा कि पीपीओ और जीवन प्रमाणपत्र पहले से सरकारी सिस्टम में मौजूद हैं. ऐसे में ैप् टीम को बस सिस्टम में देखना चाहिए. उन्होंने इसे श्आम समझ की कमीश् बताया.

विश्व पुस्तक मेला में डा० ह्यूमन की पुस्तक का विमोचन

(सदा ए बुलंद न्यूज) नई दिल्ली के प्रगति मैदान (भारत मंडपम) में आयोजित नौ दिवसीय विश्व पुस्तक मेला में अर्थियन सोसाइटी के निदेशक एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इरफान ह्यूमन की पुस्तक ''साइबोर्ग विज्ञान कथाएं'' का विमोचन डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय और रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल के चांसलर और आइसेक्ट के संस्थापक प्रख्यात शिक्षाविद् संतोष चौबे ने किया और इस पुस्तक के नये विषय की सराहना करते हुए कहा कि विज्ञान लेखकों को ऐसे रोचक विषयों पर लिखना चाहिए ताकि बच्चों और विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन हो सके। उन्होंने कहा कि विश्व पुस्तक मेला एक ऐसा शक्तिशाली मंच है जहाँ लेखक, पाठक और प्रकाशक विचारों का आदान–प्रदान कर सकते हैं और साहित्य की विविध धाराओं को एक साथ ला सकते हैं।

इससे पूर्व विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया, जिसमें अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अभिनेत्री–राजनीतिज्ञ हेमा मालिनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संगीतकार रिक्की केज, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक, वक्ता और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। डॉ. इरफान ह्यूमन ने बताया कि 18 जनवरी तक चलने वाले विश्व पुस्तक मेला मे 1,000 से अधिक प्रकाशक दुनिया भर से मेले में भाग ले रहे हैं। ये प्रकाशक 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें रूस, जापान, पोलैंड, फ्रांस, खाजाकिस्तान, हंगरी, चिली आदि शामिल हैं। मेले में लगभग 600 से ज्यादा कार्यक्रम और 1,000 से अधिक वक्ता होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय सहभागियों के बीच ऑस्ट्रिया और यूक्रेन का संयुक्त साहित्यिक प्रदर्शनी भी है, जो अलग–अलग भाषाओं और संस्कृति के विमर्श को सामने लाती है।

गुलाब बेचने वाली 11 साल की बच्ची का रेप

(दिल्ली/ सदा ए बुलंद न्यूज) दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां ट्रैफिक सिग्नल पर गुलाब बेचने वाली एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी ई–रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है. यह खौफनाक वारदात 11 जनवरी की है. पीड़ित बच्ची प्रसाद नगर इलाके में एक रेड लाइट पर गुलाब बेच रही थी. पुलिस के अनुसार, करीब 40 वर्षीय आरोपी दुर्गेश ने यात्रियों को छोड़ने के बाद अपना ई–रिक्शा बच्ची के पास रोका. जब बच्ची फूल बेचने उसके पास आई, तो आरोपी ने उसे झांसा दिया कि वह उसके सारे गुलाब बिकवा देगा. मासूम उसकी बातों में आ गई और रिक्शा में बैठ गई.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आरोपी बच्ची को प्रोफेसर रामनाथ विज मार्ग के पास स्थित सुनसान जंगल में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ बलात्कार किया. वारदात के बाद बच्ची अचेत हो गई और खून से लथपथ हालत में वहीं पड़ी रही. पुलिस ने बताया कि आरोपी उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गया. होश में आने के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची, जिसके बाद बदहवास परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी.

गणतंत्र दिवस:अम्रत महोत्सव का मतलब, हर देशवासी में एकता सर्वधर्म सम्मान

मज़हर हुसैन ख़ाँ

जब एक अभिनेता पर्दे पर अपने किरदार को जीवित करता है, तो वह न केवल संवादों का, बल्कि पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा बनता है। उसी तरह, 26 जनवरी का दिन हम सभी भारतीयों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी भूमिका को पूरी तन्मयता से निभाते हैं। गणतंत्र दिवस का यह दिन हमारे इतिहास, संघर्ष, और राष्ट्र की एकता का प्रतीक बनकर सामने आता है। आज हम अपनी आजादी, अधिकारों और जिम्मेदारियों की कसौटी पर खड़े होते हैं। यह वह दिन है जब हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश के प्रति अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाएंगे।

जब हम फिल्मों के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि एक अच्छा फिल्मी दृश्य केवल तब ही साकार होता है जब प्रत्येक कलाकार अपनी भूमिका को सच्चाई के साथ निभाता है। गणतंत्र दिवस भी कुछ उसी तरह है, जैसे एक फिल्म का अहम दृश्य हो, जिसमें हर भारतीय अपनी भूमिका को न केवल निभाता है, बल्कि देश की स्वतंत्रता और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा भी दर्शाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े और शक्तिशाली पटकथा का हिस्सा हैं, जिसे हर दिन हम अपनी मेहनत, संघर्ष और विचारों से जीवित रखते हैं।

गणतंत्र दिवस की परेड, भारतीय सेना की ताकत, और विभिन्न राज्य सरकारों के सांस्कृतिक प्रदर्शन यह सब हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारी ताकत हमारी विविधता में निहित है। जैसे एक फिल्म के सेट पर विभिन्न कलाकार अपनी अलग–अलग भूमिकाओं में होते हैं, वैसे ही हमारे समाज में विभिन्न जातियाँ, धर्म, और भाषाएँ हैं, जो मिलकर भारत की शानदार कहानी को लिखते हैं। 26 जनवरी को हम सभी अपने देश के संविधान को सम्मानित करते हैं, जो हमें एकता, समानता, और भाईचारे का संदेश देता है। यह संविधान न केवल हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। फिल्मों की तरह, जब भी कोई कलाकार अपने किरदार को सच्चाई से निभाता है, तो वह पूरी कहानी को प्रभावित करता है। इसी तरह, जब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे देश के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 26 जनवरी हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं, और हमारा हर कदम देश की प्रगति की ओर बढ़ता है।एक अभिनेता के नजरिए से, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर सदस्य का योगदान फिल्म में बराबरी का होता है। चाहे वह अभिनेता हो, निर्देशक हो, या तकनीकी टीम हो, हर किसी का योगदान अपनी जगह अहम होता है। ठीक उसी तरह, हमारे देश की प्रगति में हर भारतीय का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में यह

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम सब समान हैं, और हम सबका कर्तव्य है कि हम देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। किसी फिल्म के क्लाइमेक्स में, जब सभी कलाकार मिलकर एक महान प्रदर्शन करते हैं, तो वह दृश्य दर्शकों के दिलों में गहरा असर छोड़ जाता है। 26 जनवरी की परेड भी वैसा ही दृश्य है दृ हम सभी अपने देश के तिरंगे के नीचे एकजुट होकर खड़े होते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र से हों, लेकिन हमारे देश के प्रति हमारी निष्ठा और प्यार में कोई अंतर नहीं है। हम सब मिलकर उस फिल्म का हिस्सा हैं, जो हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए रहेगी।

गणतंत्र दिवस केवल हमारे अधिकारों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों को निभाने का दिन भी है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने देश को सम्मान देते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देते हैं। जैसा कि एक अभिनेता अपने किरदार में पूरी निष्ठा से समर्पित होता है, हमें भी अपने देश के प्रति उसी समर्पण की भावना को महसूस करना चाहिए।

हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, वे हम तक सीमित नहीं हैं। उनका उद्देश्य केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश की भलाई में निहित है। एक अभिनेता की तरह, हमें अपने देश के प्रति न केवल आदर दिखाना चाहिए, बल्कि अपनी भूमिका को निभाते हुए दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

हमारा देश एक फिल्म के समान है, जिसमें प्रत्येक भारतीय अपना किरदार निभाता है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका हर दृश्य, हर भूमिका अद्वितीय है, लेकिन एक साथ मिलकर यह पूरी फिल्म को बेहतरीन बनाती है। इस फिल्म का हर कलाकार दृ चाहे वह छोटे से छोटे गांव का किसान हो या बड़े शहर का कारोबारी, या फिर हमारे जवान जो सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं दृ सभी का योगदान बराबरी का है। जैसे एक फिल्म में हर कलाकार का प्रयास उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, वैसे ही हमारे देश की प्रगति भी तब संभव है जब हम सब मिलकर काम करें। इस गणतंत्र दिवस, हम यह संकल्प लें कि हम अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाएंगे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे।

गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम देश के प्रति अपने योगदान को और बेहतर बनाएं। हर भारतीय की भूमिका उस महान फिल्म का हिस्सा है, जो हमारे देश की सशक्तता और समृद्धि की कहानी कहती है।

इस गणतंत्र दिवस, हमें यह समझना होगा कि हर नागरिक का योगदान इस फिल्म को सफल बनाता है। हम सभी मिलकर अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस फिल्म को एक अद्भुत सफलता बना सकते हैं। जय हिंद!

New Epstein files claim he forcibly impregnated girls

strangled women during sex; buried bodies at farmhouse

(**Sada e BuLand News**)Serious and shocking allegations have once again surfaced in the Jeffrey Epstein case. The US Justice Department recently released new files revealing abuses against minor girls and women.

According to one file, two foreign women died from strangulation during sex. They were later buried at Zorro Ranch, a New Mexico farmhouse, by an employee of Epstein's. This included Ghislaine Maxwell, a close associate of Epstein. According to another file, a minor girl claims to have been used as a "human incubator," meaning a human egg-preserving machine. According to the emails, the girls were held captive for extended periods at Zorro Ranch and forced to become pregnant.The children were conceived and disappeared after birth. One woman even attempted suicide. The new files also reveal that some transactions involving Epstein were conducted through cryptocurrency channels like Bitcoin, rather than through the traditional banking system.

The names and photographs of the victims were not removed from the files, and the Justice Department admitted its mistake.

Despite claims by the Justice Department that the investigation files related to this case have been rectified, information and photographs of several victims remain publicly available. In such files, victims' identities are concealed by black marks. Photos and phone numbers of minor victims were also revealed. The department has admitted the mistake. The files also contain email conversations between radio host and author Bryan Bishop and Epstein. In these emails, Bishop sought funding for a research project he described as akin to cloning.

Epstein responded by agreeing to invest but declining to be the face of the project. Another email, dated June 30, 2014, appears to be from an unidentified person asking Epstein for permission to kill someone. However, Epstein's response to this is unclear.

Sex offenders befriended minors by luring them with movie-shopping offers. According to documents released by the Justice Department, Epstein's partner and girlfriend, Ghislaine Maxwell, lured and groomed numerous minor girls for sexual exploitation between 1994 and 1997. Maxwell used various methods to lure victims into Epstein's trap. First, she attempted to befriend some of the minor girls, asking about their lives, school, and family.

Maxwell and Epstein would take them to the movies or shopping, sometimes together and sometimes alone. This way, they became close to their victims.

Maxwell forced underage victims to give her massages.

New Epstein files claim: Girls were forcibly impregnated; women were strangled during sex; bodies were buried at the farmhouse.Washington DC 7 hours ago The Trump administration in the US is releasing files related to Jeffrey Epstein from December 2025.Serious and shocking allegations have once again surfaced in cases involving Jeffrey Epstein. The US Justice Department recently released new files revealing brutality against minor girls and women.

According to one file, two foreign women died from strangulation during sex. An employee of Epstein later buried them at his New Mexico farmhouse, "Zorro Ranch," which included Epstein's close associate, Ghislaine Maxwell.According to another file, a minor girl claims to have been used as a "human incubator," meaning a human egg-preserving machine. According to the emails, girls were held captive for extended periods at Zorro Ranch and forcibly impregnated.Children were born, and after birth, these children disappeared. One woman even

attempted suicide. New files also reveal that some transactions involving Epstein were conducted through cryptocurrency channels like Bitcoin, rather than through the traditional banking system.

Jeffrey Epstein and his girlfriend, Ghislaine Maxwell.Victims' names and photos not removed from files; Justice Department admits mistake.Despite the Justice Department's claims of correcting negligence in the investigative files related to this case, information and photos of many victims are still publicly available. In such files, victims' identities are concealed with black marks.Photos and phone numbers of minor victims were also revealed. The department has admitted the mistake. The files also mention email conversations between radio host and author Bryan Bishop and Epstein. In these emails, Bishop sought funding for a research project that he described as being close to cloning.Epstein responded by agreeing to invest but refusing to be the face of the project. Another email, dated June 30, 2014, appears to be from an unidentified person, offering Epstein permission to kill someone. However, Epstein's response to this email is unclear.Jeffrey Epstein holds a minor girl on his lap while on a flight.

Sex offenders befriended minors by luring them with movies and shopping.According to documents released by the Justice Department, Epstein's partner and girlfriend, Ghislaine Maxwell, lured and groomed numerous minor girls for sexual exploitation between 1994 and 1997.Maxwell lured victims into Epstein's trap using various methods. First, she tried to befriend some of the minor girls, asking about their lives, school, and family.Maxwell and Epstein would take them to movies or shopping, sometimes together and sometimes alone. In this way, he became close to his victims.Maxwell coerced minor victims into giving him massages.By befriending the victims, Maxwell attempted to normalize the sexual abuse. She would discuss sexual topics, undress in front of the minor victims, or be present when the victims were naked. Sometimes, she even participated in sexual activities with Epstein.Maxwell would ask the victims to massage Epstein. During many of the massages, Epstein sexually abused the victims.Furthermore, Epstein would offer money to some victims, and Maxwell would encourage them to accept this help, making them feel indebted and believing they were helping him.Epstein Files Name Bill Gates, Elon Musk, and Many Other CelebritiesMillions of files related to the Epstein investigation have been made public. The data, released on January 30th, includes 3 million pages, 180,000 photos, and 2,000 videos. These documents contain the names of many of the world's richest and most powerful people.

सूचना

मै,

नाज़मा पुत्री मतीउल्ला निवासी महमंद हददफ़, यह सूचित करती हूँ कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम / जन्मतिथी / पिता का नाम / पता गलत अंकित हो गया है।

मेरे पासपोर्ट में गलत विवरण इस पुकार है।

नाम	:	नाज़मा बेग़म
जन्ममिथि	:	15 / 3 / 1974
पिता का नाम	:	मतीउल्लाह
पता	:	म0 क्र0 119 मो0 महमंद हददफ़ शाहजहाँपुर उ0 प्र0

जबकि मेरे सही विवरण यह है।

नाम	:	नाज़मा
जन्ममिथि	:	1 / 1 / 1976
पिता का नाम	:	मतीउल्ला
पता	:	मो0 महमंद हददफ़ शाहजहाँपुर उ0 प्र0

भविष्य मे मै अपने सही विवरण का ही उपयोग करूँगा। इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिनों के भीतर सूचित करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं प्रधान सम्पादक

बहार मोहम्मद

द्वारा लव–कुश प्रिंटर्स, बाड़ूजई पेशावरी (आदर्श नगर कालोनी) शाहजहांपुर–242001 से मुद्रित एवं 2, नियर पक्का तालाब बरादरी जिला शाहजहांपुर (उ.प्र.) 242001 से प्रकाशित एवं वितरित प्रधान सम्पादक **बहार मोहम्मद**

मो0 नम्बर 9565100392–9453556135

sadaebulandmgzn@gmail-com

नोट– समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र शाहजहाँपुर (उ.प्र.) होगा।